Form-I
(for linear projects
Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 3921 /DRA Dated: 22/9/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th Feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **04-52-59** Hectares situated in Mohals Kanol, Chakwan Dhar, Lag, Batuni, Dibba, Loharka, Sub Tehsil Darini, Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD for construction of Link Road from Kanol to Morch in the state of H.P in Sub Tehsil Darini falls within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **04-52-59** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexures. As per report received from Gram Panchyat, Rulchad and SDO (C) Shahpur there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

District Collector
Kangra at Dharamshala

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 06-09-2021 at 4.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Kanol, Lag & Batuni claiming rights in **04-52-59 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Shahpur, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

______________ No claim filed by anyone______

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

OR

As informed by SDO (Civil) Shahpur, no application was received from Gram Sabha Kanol, Lag & Batuni claiming rights in **04-52-59 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 3922 /DRA Dated : 22-9-2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

***Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

OFFICE OF THE SDO CIVIL SHAHPUR
DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006

A meeting of the Sub Division level Committee of Shahpur Sub Division constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship/ chairpersonship of Dr Murari Lal SDO Civil Shahpur on 09-12-2020 at 11:00 AM at Shahpur(place) in which the application(s) claiming rights in 4-52-59 Hect forest area under FRA, 2006 of the following applicant(s) duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Sub Divisional level Committee , Shahpur were discussed to consider the same for recommendation to the District Level committee.

After scruting of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application.

Name of Applicant	Decision/Recommended/not Recommended
1.link road from Kanol to Morchh	✓

SDO(Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub Division level Committee,

Sub Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Place: Shahpur
Date:

Office of the Sub Divisional Officer (c) Shahpur District Kangra (HP)

Proceedings of the meeting of the Sub Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Divisional level Committee of Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/chairpersonship of SDO (C) Shahpur on 09-12-2020 at 11.00 AM at Shahpur in which the application(s) of the applicant(s) of Kanol ,Lag and Batuni Gram Sabha, claiming rights in Area measuring 04-52-59 Hact situated in Mohal Kanol ,Chakwan Dhar ,Lag, Batuni ,Dibba ,Loharka forest area (s) under FRA,2006,duly processes and recommendation to the District Level Committee. After scrutiny of the documents and detailed discussions. The claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest Detail of forest Right
1.	No Claim	
2.		

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest Detail of forest Right
1.	No Claim	
2.		

OR

As informed by ... Gram Saba,, ... Kanol ,Lag and Batuni,, no application was received claiming rights in .... forest area.

[signature]

SDO (Civil)-Chairman/Chairperson

Place

Date

आज दिनांक 09.12.2020 को उपमण्डल अधिकारी ना0 शाहपुर एवम् अध्यक्ष/सभापति उपमण्डल स्तरीय कमेटी शाहपुर की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्य ने भाग लिया।

कमांक	नाम अधिकारी/सदस्य	पद
1	श्री फकीर चन्द नायब तहसीलदार दरीणी।	सदस्य
2	वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर।	सदस्य
3	श्रीमति सरमेष्टा देवी गांव व डा0 करनी।	सदस्य
4	श्री रमन कुमार गांव व डा0 द्रमण।	सदस्य
5	श्री संतोष सनेही गांव व डा0 नेरटी।	सदस्य
6	श्री वी0के0 दियोलिया सहायक अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माणविभाग शाहपुर ।	——

बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि उपमण्डल शाहपुर के अन्तर्गत सब तहसील दरीणी के क्षेत्राधिकार में link road from Kanol to Morchh के विस्तार हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अन्नापति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित है।

बैठक में किसी भी सदस्य द्वारा उपरोक्त उद्देश्य हेतू दिये गये प्रस्ताव/प्रमाण पत्र बारे किसी भी प्रकार की आपति दायर न की गई है तथा प्रभावित क्षेत्र की वन अधिकार समितियों द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी दावा प्राप्त न हुआ है।

अतः सर्वसहमति से उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष सभापति
उपमण्डलीय वन अधिकार
समिति उपमण्डल शाहपुर।

श्री फकीर चन्द,नायब तहसीलदार दरीणी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर।

श्रीमति सरमेष्ठा देवी, गांव व डा0 करेरी।

श्री रमन कुमार गांव व डा0 द्रमण।

श्री संतोष सनेही गांव व डाव नेरटी।

सहायक अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग शाहपुर।

कार्यालय उपमण्डलाधिकारी (ना0) शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

प्रेषितः

उपायुक्त कांगड़ा
स्थित धर्मशाला।

क्रमांक 4037/एस0डी0एम0/एम0सी0, दिनांक 9-12-2020

विषयः— वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त बिषय बारे उपमण्डल शाहपुर के अन्तर्गत सव तहसील दरीणी के क्षेत्राधिकार में link road from Kanol to Morchh के विस्तार हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अन्नापति प्रमाण जारी करने बारे कार्यालय कार्यवाही बैठक व मूल प्रकरण अन्य संलग्न दस्तावेजो सहित महोदय की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

भवदीय,

उपमण्डलाधिकारी (ना0)
शाहपुर

Meeting Regarding Sub Division level Committee constituted under Sch. Tribes & Other Traditional FRA 2006 held on dated 09/12/2020 at 11:00 AM at SDM Office Shahpur

ATTENDANCE SHEET

Sr. No.	Name & Designation	Mobile No.	Signature
1	Er. B.K. Doolg (AE) SubDiv HPPWD Shahpur	9418071010	[signature]
2	Kehar Singh Dy Ranger	9816489952	[signature]
3	Kuldeep Chand Dy FRO	94187-93936	[signature]
4	Santosh Snehi	9816482919	[signature]
5	Raman Kumar	9736836250	[signature]
6	Fagnir Chand N-T Darini	7807060998	[signature]
7	Smt Sameshta Devi	7807392575	[signature]
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा...... कनोल

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 18/08/020

प्रस्ताव संख्या ...01.......

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.......कनोल........की बैठक आज दिनांक 18/08/020 को 10:30 बजे स्थान.......कनोल..........में श्री / श्रीमति......जगरूप सिंह.......की अध्यक्षता में की गई जिसमें ....कनोल.......गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत......कनोल.......जंगल / वन क्षेत्र में, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कनोल से मोरसू सड़क के निर्माण के लिए 6-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित दावों का दावा नियमानुसार नहीं पाया गया:-

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	- NIL -		
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को स्वीकृत करने हेतु ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	- NIL -
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को खारिज निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.... जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

प्रधान
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) हि.प्र.

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा..........

स्थान......कनोल
दिनांक 18/08/020

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Jagroop Singh　　Shankar Lal

प्रधान　　सचिव

वन अधिकार समिति

गांव कनोल ग्राम पंचायत कनोल

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा....कनोल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या....01.....   दिनांक 18/08/020

ग्राम सभा....कनोल.............की बैठक आज दिनांक 18/08/020.......को 10-30 बजे स्थान.......कनोल......में श्री / श्रीमति....जगरूप सिंह.......की अध्यक्षता में की गई जिसमें ....कनोल............गाव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत.......कनोल.......जंगल / वन क्षेत्र मे (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कनोल से सोरद्ध सड़क......के निर्माण के लिए 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2	— Nil —		

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :—

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	— Nil —

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार.............................जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान....कनोल
दिनांक 18/08/020

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

प्रधान ग्राम पंचायत कनोल विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) हि.प्र.

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लि आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपर की अनुमति दी जानी है।

Jaghoop Singh   Shanka Pal
प्रधान   सचिव
वन अधिकार समिति
गांव कनोल ग्राम पंचायत कनोल

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ...कनोल...
विकास खण्ड ...रैत... जिला ...कांगड़ा...(हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 18/08/020

प्रस्ताव संख्या 01

गणपूर्ति ...8/9...

विषय लोक निर्माण विभाग / संस्था को कनोल से मोरड्डू सड़क जंगल / वन क्षेत्र ... के निर्माण हेतु ... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के प्रस्तावित 4-52-59 की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ...कनोल... की बैठक आज दिनांक 18/08/020 को 1:00 बजे, स्थल पंचायत घर कनोल की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग / संस्था का कनोल से मोरड्डू सड़क के निर्माण हेतु कनोल जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से येह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावे के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा/पंचायत कनोल को सहमति दी जाती है।

प्रधान
ग्राम पंचायत कनोल
अधोहस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...

स्थान ...कनोल...
दिनांक 18/08/020

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा....लगा....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 17/08/020

प्रस्ताव संख्या. 03.......

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.....लगा.............की बैठक आज दिनांक 17/08/020..... को 11:30 बजे स्थान.......कनोल..............में श्री / श्रीमति....अशोक कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें ....लगा.............गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत....लगा.............जंगल / वन क्षेत्र में, जिसने लोक निर्माण विभाग द्वारा....कनोल से सलेट सड़क के निर्माण के लिए 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित दावों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	— NIL —		
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को स्वीकार करने हेतु ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	— NIL —
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को खारिज निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.... जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

प्रधान
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा..................

स्थान.......कनोल
दिनांक 17/08/020

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान Ashok सचिव Anup
वन अधिकार समिति
गांव लगा ग्राम पंचायत कनोल

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा लगा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03. दिनांक 17/08/020

ग्राम सभा लगा की बैठक आज दिनांक 17/08/020 को 11:30 बजे स्थान कनोल में श्री / श्रीमति अशोक कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें लगा गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत लगा जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लो.क. निर्माण विभाग द्वारा कनोल से ... सड़क के निर्माण के लिए 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2	No CLAIM		

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उच्च स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	No CLAIM

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ... जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कनोल

दिनांक 17/08/020

प्रधान (signature)

अधोहस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा लगा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) हि.प्र.

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपर की अनुमति दी जानी है।

प्रधान Ashok सचिव Anup

वन अधिकार समिति

ग्राम लगा विकासखण्ड कनोल

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कनोल ....
विकास खण्ड रैत .... जिला कांगड़ा ....(हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 17/08/020

प्रस्ताव संख्या 03

गणपूर्ति 9/9

विषय लोक निर्माण विभाग / संस्था को कनोल से मोरद्ध सड़क .... जंगल / वन क्षेत्र .... के निर्माण हेतु .... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के प्रस्तावित 4-52-59 .... की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कनोल .... की बैठक आज दिनांक 17/08/020 को 12:00 बजे, स्थान पंचायत घर कनोल को गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग / संस्था को कनोल से मोरद्ध सड़क के निर्माण हेतु .... जंगल / वन क्षेत्र के प्रस्तावित 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावो के निपटारें पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा/पंचायत कनोल को सहमति दी जाती है।

प्रधान
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान ....
दिनांक ....

Annexture-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....बतूनी

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक...10/08/020

प्रस्ताव संख्या....01

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.....बतूनी.....की बैठक आज दिनांक .....10/08/020... को .....12.....बजे स्थान.....रुलेहड़.....में श्री / श्रीमति.....मेघ दास..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें .....बतूनी.....गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत.....बतूनी..... जंगल / वन क्षेत्र में, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडोल से मोरहू सड़क के निर्माण के लिए 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित दावों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	NO CLAIM		
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को मंजूर करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	NO CLAIM
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को खारिज निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.... जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रुलेहड़
दिनांक 10/08/020

प्रधान Asha Devi
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता पंचायत रुलेहड़
ग्राम सभा.......विख रैत कांगड़ा (हि.प्र.)

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Megh — प्रधान
Naresh — सचिव

वन अधिकार समिति
गांव बतूनी ग्राम पंचायत रुलहेड़

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... बतूनी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या....01....

दिनांक..10/08/020

ग्राम सभा...... बतूनी .... की बैठक आज दिनांक ....10/08/020.......को ....12.... बजे स्थान... रूलेहड़ .....में श्री / श्रीमति.......मेघराज...........की अध्यक्षता में की गई जिसमें ....बतूनी.............................गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत.......बतूनी.........जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कन्होल से मोरड़ सड़क के निर्माण के लिए 4-52-59 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2	NO CLAIM		

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उच्च स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	NO CLAIM

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार.... बतूनी ....जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रूलेहड़

दिनांक ..10/08/020

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.......

प्रधान Asha Devi ग्राम पंचायत रूलेहड वि ख रैत कांगड़ा (हि.प्र.)

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लि आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपर की अनुमति दी जानी है।

प्रधान सचिव

वन अधिकार समिति

गांव बतूनी ग्राम पंचायत रूलहेड़

Annexure-V

<u>अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006</u>

ग्राम सभा ...रुलेहड़... ....
विकास खण्ड ...रैत..................जिला ...कांगड़ा.......(हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक ...10/08/020

प्रस्ताव संख्या...01.........

गणपूर्ति ....8/9..........................

विषय.....लोक निर्माण.......विभाग / संस्था को ...कनोल से मोरछा सड़क.........जंगल / वन क्षेत्र ....के निर्माण हेतु ....वतुनी.................... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग ने प्रस्तावित ...4-52-59............ की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....रुलेहड़...................................की बैठक आज दिनांक 10/08/020...को ....11:00 बजे स्थान पंचायत घर रुलेहड़ को गई, जिसमें लोक निर्माण.....विभाग / संस्था का कनोल से मोरछा सड़क निर्माण हेतु .....वतुनी.............. ....जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...4-52-59 ...हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावो के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावो के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित ...4-52-59.......हैक्टयर वन भूमि को ....सड़क.......... निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा/पंचायत...रुलेहड़....को सहमति दी जाती है।

प्रधान Asha Devi
ग्राम पंचायत रुलेहड़
वि ख रैत कांगड़ा (हि.प्र.)

अधोहस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...............

स्थान...........
दिनांक ....

सार्वजनिक सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कनोल के मुहाल लाहा की वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठक दिनाक 17/8/2020. को स्थान गांव लाहा मे रखी गई है इस बैठक मे निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल लाहा की वन अधिकार समिति (FRC) का गठन करना।

2 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल लाहा से अनुसूचित जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी ,वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम,2006 के अतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत करने बारे।

नोट :–इस बैठक मे सदस्यो का आवश्यक कोरम मुहाल लाहा के कुल व्यस्क सदस्यो का 50 प्रतिशत रहेगा।

मुहाल लाहा कुल व्यस्क सदस्यो = 60 का 50%

अतः सभी सदस्यो जिनकी आयु 18 वर्ष पुर्ण हो चुकी है को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को पुरे सभा क्षेत्र मे फैलाए।

2 सार्वनिक स्थानो में चस्पान हेतू

3 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतू

Anup Kumar

Ashok Kumar

वन अधिकारी समिति (लाहा)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

स्थान :- लाहा

दिंनाक :- 30/04/2020.

सचिव,
ग्राम पंचायत

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर
दिनांक

वन अधिकार समिति लग्गा

ग्राम पंचायत कनोल

सार्वजनिक सुचना

सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचयत कनोल के मुहाल लग्गा की वन अधिकार अधिनियम – 2006 के वन अधिकार समिति का गठन दिंनाक 2018 को किया जा चूका हैं।

अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से संबधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिंनाक से 90 दिनों के भीतर दावे या आक्षेप पंचयत सचिव के पास प्रस्तुत करे। 90 दिनों के उपरांत किसी भी दावे या आक्षेप पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्थान :- लग्गा

दिंनाक :- 30/04/2020.

वन अधिकारी समिति (लग्गा)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव,
ग्राम पंचायत

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत कनोल

हस्ताक्षर
दिनांक

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

वन अधिकार समिति लगा के सदस्यो को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कनोल के मुहाल लगा की वन अधिकार समिति बैठक दिंनाक 17/8/2020 को स्थान गांव लगा में रखी गई हैं इस बैठक में निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल लगा से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिंनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत हुये दावे बारे।

अतः सभी सदस्यो को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को देने की कृपा करे

2 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतु

स्थान :– लगा

दिंनाक :– 30/04/2020

Ashok Kum [illegible] Anup Kum [illegible]

वन अधिकार समिति (लगा)

[illegible] कनोल

[illegible] कांगड़ा (हि.)

सचिव,
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड

[illegible]

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.)

[illegible]

हस्ताक्षर [illegible]
दिनांक

बन अधिकार अधिनियम 2006 महाल लग

आज दिनांक 17/8/2020 को बन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता मैं की गई जिसमें निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई ब उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है

क्र .स	नाम /पिता का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	अशोक कुमार सपुत्र राजमल	प्रधान	Ashok Kumar
2	अनूप कुमार सपुत्र महाल चंद	सचिब	Anup Kumar
3	मदन लाल सपुत्र किरपा राम	सदस्य	मदन लाल
4	जोगिन्दर सिंह सपुत्र प्रताप चंद	सदस्य	जोगिन्दर सिंह
5	सोनू कुमार सपुत्र प्रताप चंद	सदस्य	सोनू राम
6	सरोज कुमारी पत्नी संजय कुमार	सदस्य	सरोज कुमारी
7	रुमला देवी पत्नी मदन लाल	सदस्य	रुमला देवी
8	अंजना देवी पत्नी करनैल सिंह	सदस्य	अंजना देवी
9	बुधि सिंह सपुत्र महाल चंद	सदस्य	Budhi Singh
10	चैन्च्लो देवी पत्नी महिंदर सिंह	सदस्य	चैंचलो देवी
11	दिल्लो देवी पत्नी रतन चंद	सदस्य	दिलो देवी
12	चिनो देवी पत्नी मदन लाल	सदस्य	—

बन अधिकार समिति लग के कुल सदस्य 11 उपस्थित रहे। शत प्रतिशत कोरम है। अंत कार्यवाही आरम्ब करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Ashok Kumar Anup Kumar

वन अधिकार समिति (लग)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

सार्वजनिक सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कनोल के मुहाल कनोल की वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठक दिनाक 18/08/2020 को स्थान गांव कनोल मै रखी गई है इस बैठक में निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल कनोल की वन अधिकार समिति (FRC) का गठन करना।

2 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल कनोल से अनुसूचित जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी ,वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम,2006 के अतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत करने बारे।

नोट :–इस बैठक मे सदस्यो का आवश्यक कोरम मुहाल कनोल के कुल व्यस्क सदस्यो का 50 प्रतिशत रहेगा।

मुहाल कनोल कुल व्यस्क सदस्यो = 60 का 50%

अतः सभी सदस्यो जिनकी आयु 18 वर्ष पुर्ण हो चुकी है को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को पुरे सभा क्षेत्र में फैलाए।

2 सार्वनिक स्थानो में चस्पान हेतू

3 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतू

Jagpal Singh
वन अधिकारी समिति (कनोल)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

स्थान :- कनोल
दिंनाक :- 29/07/2020.

(मुहर: ग्राम पंचायत कनोल, रैत, जिला कांगड़ा)

सचिव,
ग्राम पंचायत
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर
दिनांक........

वन अधिकार समिति कनोल

ग्राम पंचायत कनोल

सार्वजनिक सुचना

सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचयत कनोल के मुहाल कनोल की वन अधिकार अधिनियम – 2006 के वन अधिकार समिति का गठन दिंनाक 2018 को किया जा चूका हैं।

अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से संबधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिंनाक से 90 दिनों के भीतर दावे या आक्षेप पंचयत सचिव के पास प्रस्तुत करे। 90 दिनों के उपरांत किसी भी दावे या आक्षेप पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्थान :- कनोल

दिंनाक :- 29/04/2020

Jagan Singh

वन अधिकारी समिति (कनोल)

ग्राम पंचायत कनोल

जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव,

ग्राम पंचायत

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत कनोल

विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर........

दिनांक........

सार्वजनिक सूचना

वन अधिकार समिति कनोल के सदस्यो को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कनोल के मुहाल कनोल की वन अधिकार समिति बैठक दिनाक 18/05/2020 को स्थान गांव कनोल में रखी गई हैं इस बैठक में निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम--2006 के अन्तर्गत मुहाल कनोल से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिंनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत हुये दावे बारे।

अतः सभी सदस्यो को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को देने की कृपा करे

2 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतू

स्थान :- कनोल

दिंनाक :- 29/04/2020.

Jagdish Singh
वन अधिकारी समिति (कनोल)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव,
ग्राम पंचायत ________
विकास खण्ड ________

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत ... वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर ...
दिनांक ...

बन अधिकार अधिनियम 2006 महाल कनोल

आज दिनांक 18/08/2020. को बन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई ब उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है

क्र .स	नाम /पिता का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	जगरूप सिंह सपुत्र जमीतु राम	प्रधान	Jagrup Singh
2	शंकर पाल सपुत्र निर्मल सिंह	सचिब	Shankar Pal
3	आरती देवी पत्नी राज कुमार	सदस्य	Aarti Devi
4	बुधली देवी पत्नी जेठा राम	सदस्य	
5	गुड्डी देवी पत्नी परवीन कुमार	सदस्य	गुड्डी देवी
6	सरला देवी पत्नी प्रकाश चंद	सदस्य	
7	सरोज कुमारी पत्नी प्रीतम चंद	सदस्य	सरोज
8	कमला देवी पत्नी कृषण	सदस्य	
9	विक्रम सिंह सपुत्र दिजी राम	सदस्य	विक्रम सिंह
10	हरबंस लाल सपुत्र प्रेम चंद	सदस्य	Harbans Singh
11	संजय कुमार सपुत्र जागो राम	सदस्य	
12	अर्जुन सिंह सपुत्र घेप्ली राम	सदस्य	अर्जुन कुमार
13	मिया राम सपुत्र धनिया राम	सदस्य	मियां राम
14	जयकरण सिंह सपुत्र भानी राम	सदस्य	

बन अधिकार समिति लग के कुल सदस्य (9) उपस्थित रहे । शत प्रतिशत कोरम है । अंत कार्यवाही आरम्ब करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

Jagrup Singh Shankar Pal
वन अधिकारी समिति (कनोल)
ग्राम पंचायत कनोल
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कनोल वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर
दिनांक........

सार्वजनिक सूचना

सर्व--साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रुलेहड के मुहाल वतुनी ____ की वन अधिकार अधिनियम--2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठक दिनाक 10-08-20 को स्थान गांव वतुनी मे रखी गई है इस बैठक मे निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम--2006 के अन्तर्गत मुहाल वतुनी की वन अधिकार समिति (FRC) का गठन करना।

2 वन अधिकार अधिनियम--2006 के अन्तर्गत मुहाल वतुनी से अनुसूचित जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी ,वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम,2006 के अतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत करने बारे।

नोट :--इस बैठक मे सदस्यो का आवश्यक कोरम मुहाल वतुनी के कुल व्यस्क सदस्यो का 50 प्रतिशत रहेगा।

मुहाल वतुनी कुल व्यस्क सदस्यो = 60 का 50%

अतः सभी सदस्यो जिनकी आयु 18 वर्ष पुर्ण हो चुकी है को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को पुरे सभा क्षेत्र मे फैलाए।

2 सार्वनिक स्थानो में चस्पान हेतू

3 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतू

प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति (वतुनी)
ग्राम पंचायत रुलेहड
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

स्थान :- रुलेहड
दिंनाक :- 25-7-20

सचिव, Panchayat Secretary
ग्राम पंचायत Gram Panchayat Rulehad
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत रुलेहड
वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर Asha Devi
दिनांक

वन अधिकार समिति वंतुनो

ग्राम पंचायत रुलेहड

सार्वजनिक सुचना

सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचयत रुलेहड के मुहाल वतुनो की वन अधिकार अधिनियम – 2006 के वन अधिकार समिति का गठन दिंनाक 16/8/2014 को किया जा चूका हैं।

अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से संबधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिंनाक से 90 दिनों के भीतर दावे या आक्षेप पंचयत सचिव के पास प्रस्तुत करे। 90 दिनों के उपरांत किसी भी दावे या आक्षेप पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्थान :- रुलेहड

दिंनाक :- 25-7-20

प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति (वतु...
ग्राम पंचायत रुलेहड
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव, Panchayat Secretary
ग्राम पंचायत Gram Panchayat Rulehad
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत रुलेहड
वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर......

दिनांक......

सार्वजनिक सूचना

वन अधिकार समिति वतुनी के सदस्यो को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रुलेहड के मुहाल वतुनी की वन अधिकार समिति बैठक दिनाक 10-8-20 को स्थान गांव वतुनी में रखी गई हैं इस बैठक में निम्न विषय पर विचार किया जाएगा।

1 वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मुहाल वतुनी से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावा या आक्षेप 90 दिनो के अवधि के भीतर प्रस्तुत हुये दावे बारे।

अतः सभी सदस्यो को सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर इस बैठक को सफल बनाने की कृपा करे ।

प्रतिलिपि सेवा में

1 पंचायत चौकिदार को इस आशय सहित कि इस सूचना को देने की कृपा करे

2 सुरक्षित रिकार्ड फायल हेतू

स्थान :– रुलेहड

दिंनाक :– 25-07-20

प्रधान सचिव
वन अधिकार समिति (वतु...
ग्राम पंचायत रूलेहड
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rulehad
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत ...
वि.ख. ... कांगड़ा

हस्ताक्षर... Ashwani
दिनांक...

वन अधिकार अधिनियम 2006 मुहाल बतूनी

आज दिनांक 10/08/20 को वन अधिकार समिति बतूनी की बैठक अध्यक्ष श्री मेघनाथ की अध्यक्षता मे की गई जिसमे निम्न कार्यवाही अमल मे लाई गई व उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	नाम / पिता का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	मेघनाथ s/o दीनानाथ	अध्यक्ष	[signature]
2	नरेश कुमार s/o [illegible] चन्द	सचिव	[signature]
3	पुरषोत्तम सिंह s/o [illegible]	सदस्य	पुरशोत्तम
4	तिलक राज s/o सोनी राम	"	Tilak Raj
5	सुशील कुमार s/o दीनानाथ	"	Sushil Kumar
6	वकील सिंह s/o प्रताप चन्द	"	Vakeel
7	सुभाष चन्द s/o प्रहलाद	"	Subhash
8	चैन सिंह s/o मकोली राम	"	चैन सिंह

वन अधिकार समिति बतूनी के कुल सदस्य 08 उपस्थित है। शत-प्रतिशत कोरम हो गया, कार्यवाही आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है

[signature] प्रधान [signature] सचिव

वन अधिकार समिति (बतूनी)
ग्राम पंचायत रूलेहड
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

[signature]
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Rulehad
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत रूलेहड़ • जि. कांगड़ा

हस्ताक्षर Asha Devi
दिनांक ....